AADHAAR

AMAR UJALA, Delhi, 10.2.2018

Page No. 11, Size:(28.07)cms X (15.73)cms.

यूपी में शुरू हो रही राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा

लाभार्थी अगले वित्त वर्ष से जन वितरण प्रणाली के तहत सूबे के किसी भी दुकान से ले सकेंगे राशन

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

जन वितरण प्रणाली की किसी भी दुकान से राशन उठाने की सुविधा उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को अगले वित्त वर्ष से मिलने वाली है। इसकी व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से हो रही है। ऐसी तैयारी है कि इस सुविधा को वित्त वर्ष 2018-19 के मध्य तक शुरू कर दिया जाए। यदि ऐसा होगा तो राज्य के किसी हिस्से के राशन कार्डधारी सूबे में कहीं भी अपना राशन उठा सकेंगे।

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को यहां इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सुविधा उसी तरह मिलेगी, जैसे रक्षा कैंटीन का ग्राहक कहीं से भी राशन

या कोई अन्य सामान ले सकता है। इसके लिए राशन लेने वाले लाभार्थियों की आधार संख्या को राशन कार्ड से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश के 81 फीसदी से भी ज्यादा ग्राहकों की आधार संख्या को राशन कार्ड से लिंक किया जा चुका है। जैसे ही सभी राशन कार्ड धारक की आधार संख्या जुड़ जाएगी और राज्य के जन वितरण प्रणाली के सभी दुकानदारों को प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन उपलब्ध करा दिया जाएगा, इस सुविधा को चालू कर दिया जाएगा।

कुछ राज्यों में शुरू हो चुकी है सुविधा : केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने बताया कि इस सुविधा को कुछ राज्यों में शुरू किया जा चुका है। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और दिल्ली शामिल हैं।

पुराना राशन कार्ड मान्य

इस सुविधा के तहत लाभार्थी राज्य के किसी भी जिले के जन वितरण प्रणाली की दुकान से चावल, गेहूं या अन्य सामान ले सकेंगे। मान लिया जाए कि गाजीपुर जिले का कोई व्यक्ति गाजियाबाद में रहने लगता है, तो वह अपना राशन कार्ड बदलवाए बिना वहां के दुकानदार से राशन उठा सकेगा। इसके लिए राशन कार्ड के आंकड़ों को डिजिटल किया जाएगा और उसे सर्वर पर डाल दिया जाएगा।

आधार से जुड़ेगा कार्ड

पासवान ने कहा कि इसके लिए राशन कार्ड के आंकड़ों का डिजिटाइजेशन जरूरी होता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है। राज्य सरकार ने पीओएस मशीन जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इंतजार है, तो सिर्फ सभी राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की, क्योंकि बिना आधार संख्या से जुड़े यह सुविधा शुरू नहीं हो सकती।

अंतर्राज्यीय सुविधा फिलहाल नहीं

जब मंत्री से पूछा गया कि यदि कोई परिवार उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ गया है, तो वह वहां राशन ले सकता है, तो उन्होंने बताया कि अभी यह सुविधा अंतर्राज्यीय स्तर पर शुरू नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए, क्योंकि राशन के योग्य लाभार्थी का आंकड़ा राज्य स्तर पर तैयार किया गया है और उसी हिसाब से सब्सिडी और गेहूं या चावल आवंटित किया जाता है।